न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/153
मुकदमा नम्बर 27/2025 दर्ज दिनांक– 11.03.2025

मूलचन्द पुत्र कालूराम निवासी वार्ड नं. 5, सुनारिया कुआ के पास नवलगढ,तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सुरेश कुमार सैनी
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 10.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, कस्बा नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 382 पुराना 359 के अन्तर्गत खसरा नं. 449 रकबा 0.65 है0 जिसमें प्रार्थी का नाम मुरलीधर पुत्र कालूराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र कालूराम दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट कमांक/भू.अ./25/8700 दिनांक 11.07.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक/भू.अ./25/8700 दिनांक 11.07.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा कस्बा नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 382 पुराना 359 के अन्तर्गत खसरा नं. 449 रकबा 0.65 है0 जिसमें प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

मुरलीधर पुत्र कालूराम के स्थान पर मूलचन्द पुत्र कालूराम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8700 दिनांक 11.07.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुंनू

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

क्रमांक /भू अ /2025/ 8700

दिनांक 11/7/2025

प्रेषिति : – श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

नवलगढ

विषय : –उनवानी प्रकरण मूलचन्द बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 27/2025 के अ.धा. 136 सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपॉर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग : –श्रीमान के आदेश क्रमांक कोर्ट /राजस्व/तहरीर/177 दिनांक 21.03.2025की पालना में ।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी मूलचन्द बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 27/2025 के अ.धा. 136 सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपॉर्ट पटवारी हल्का नवलगढ से प्राप्त हुई है । जिसका अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में नाम पूर्णतः परिवर्तित हो रहे है, जो कि साबित करने का भार वादी पर है । वादी के साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न : – मूल रिपॉर्ट पटवारी हल्का नवलगढ

तहसीलदार (भू.अ.)नवलगढ

फर्द मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 20-6-25 को श्रीमान तहसीलदार महोदय नवलगढ़ के आ.क्र./स्टे.अ./7153/17-4-25 की पालना में उनवानी प्रकरण मूलचन्द बनाम तहसीलदार मु.न. 27/2025 अ.धा. 136 के संबंध में राजस्व रेकार्ड की जांच की गई एवं उपस्थित मौतबिरान से पूछताछ कर जांच की गई राजस्व रेकार्ड में कस्बा नवलगढ़ के खा.सं. 382 ख.न. 449 रकबा 0.65 हेक्टर मुरलीधर पुत्र कालुराम जाति माली दर्ज रेकार्ड है प्रार्थी द्वारा पेश किये गये दस्तावेज राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व आधार कार्ड में मूलचंद पुत्र कालुराम दर्ज रेकार्ड है उपस्थित मौतबिरान द्वारा बताया गया कि मूलचंद व मुरलीधर एक ही व्यक्ति है एवं सही नाम मूलचंद है जो कि गलती से राजस्व रेकार्ड में मुरलीधर दर्ज हो गया है। इस प्रकार फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पढ़कर सुनाई गई एवं उपस्थितो के हस्ताक्षर कराये गये।

(हस्ताक्षर)
नवलगढ़
20/6/25

Vicent Saini पटोली

(हस्ताक्षर)

शंकरलाल सैनी S/o रामप्रताप सैनी वार्ड नं० 45

लोकेश कुमार सैनी S/o स्व. भंवरलाल जी सैनी Lokesh Saini

गिरधारीलाल S/o स्व. श्रीमान चुन्नीराम सैनी

कुलदीप S/o रतन लाल सैनी

राजेन्द्र S/o परमाराम सैनी राजेन्द्र